लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प ग्राम पंचायत –जस्टाना

पीठासीन अधिकारी– विजेन्द्र कुमार मीना, आर ए एस

अपील नम्बर	तारीख रजु	तारीख निर्णय
1/2017	09/03/2017	16/5/18

श्यामलाल पुत्र जगराम, जाति मीना, निवासी टोण्ड, तहसील बौंली – अपीलार्थी

बनाम

1. गुटया पुत्र श्योराम, जाति मीना, निवासी टोण्ड, तहसील बौंली
2. ग्राम पंचायत जस्टाना जरिये सरपंच, ग्राम जस्टाना, तहयील बौंली – रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय ग्राम पंचायत जस्टाना

नामान्तकरण संख्या 125 दिनांक 20.09.2015

निर्णय

दिनांक– 16/5/18

यह अपील विरूद्ध निर्णय ग्राम पंचायत जस्टसना नामान्तकरण संख्या स 125 दिनांक 20.09.2015 इस आशय से पेश की है कि अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किये जाने से पूर्व अपीलान्ट को किसी प्रकार का नोटिय नहीं दिया गया है तथा न ही राजस्व नियमों की पालना की गई है। जमाबन्दी संवत् 2072–2075 के खाता संख्या 115 में अंकित खसरा नंबर 937, 1067, 1068 कूल रकबा 5.05के ग्राम टोण्ड में अपीलान्ट की 1/10 हिस्से की खतेदारी थी, जिसे हड़पने के लिए रेस्पोडेण्ट्स नंबर 1 द्वारा साजिश कर बिना किसी बख्शीशनामे के अपने पिता श्योराम पुत्रकन्हैया मीना के नाम नामान्तकरण संख्या 125 तस्दीक करवा लिया जबकि अपीलान्ट द्वारा कोई बख्शीशनामा रेस्पोडण्ट नंबर 1 के पिता या अन्य किसी व्यक्ति के नाम नहीं किया गया। रेस्पोडेण्ट नंबर 1 के पिता को मरे हुऐ अर्सा करीब 35–40 वर्ष हो चुके हैं तथा मरे हुऐ व्यक्ति के पक्ष में रेस्पोडण्ट नंबर 1 द्वारा ग्राम पंचायत जस्टाना से नामान्तकरण तस्दीक करवा लिया गया है जबकि अपीलाण्ट विवादग्रस्त आराजी पर निर्बाध रूप से काबिज कास्त करता चला आ रहा है। किसी भी व्यक्ति द्वारा अपीलाण्ट के कब्जेकाश्त में किसी भी प्रकार की बाधा कारित नहीं की है परन्तु रेस्पोडेण्ट नंबर 1 द्वारा गुपचुप तरीके से अपने पिता श्योराम की विरासत का नामान्तकरण अपने पक्ष में भरवाकर ग्राम पंचायत जस्टाना से तस्दीक करवाना चाहा तो ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण तस्दीक नहीं किया गया एवं ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अपीलाण्ट को दिनांक 21.11.2016 को अवगत कराया तब रिकार्ड एवं बख्शीशनामा की नकलें निकलवाने हेतु आवेदन किया।राजस्व रिकार्डकी नकलें मिलने पर रेस्पोडेण्ट नंबर 1 द्वारा की गयी फर्जकारी की जानकारी अपीलाण्ट को हो सकी। अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेण्ट नंबर 1 को पुनःराजस्व रिकार्ड दूरस्त करवाने हेतु कहा तो उसने कहा कि पुनः उक्त वादग्रस्त आराजीयात

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
बौंली जिला सवाई माधोपुर

Scanned by CamScanner

खातेदारी अपीलाण्ट के नाम करवा देगा परन्तु दिनांक 26.02.2017 को रेस्पोडेण्ट नंबर 1 ने खातेदारी नाम लगवाने से इन्कार कर दिया। इस कारण यह अपील पेश करना आवश्यक हुई। अपील बश्सेम इल्म एवं रेस्पोडेण्ट नंबर 1 द्वारा दिनांक 26.02.2017 को मना करने सक अन्दरूंमियाद पेश है तथा अपील पेश करने में हुई देरी दफा 5 मियाद अधिनियम के तहत कन्डोन किये जाने योग्य है। दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जरकर ग्राम पंचायत जस्टाना द्वारा जो नामान्तकरण संख्या 125 दिनांक 20.09.2015 का तस्दीक कराया गया है उसे निरस्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट नंबर 2 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलाण्ट ने अपील के समर्थन में नकल नामान्तकरण संख्या 125 एवं नकल जमाबन्दी संवत् 2072–2075 पेश की है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली में संलग्न नकल नामान्तकरण का अवलोकन किया गया। अपीलधीन नामान्तकरण मुताबिक रजिस्टर्ड बख्शीशनामा खोला गया है जिसमें बख्शीशनामा के पंजीकृत होने की क्रम संख्या एवं पेज भी अंकित किये गये है। जहाँ तक अपीलाण्ट का का कथन है कि उसके द्वारा कोई बख्शीशनामा रेस्पोडेण्ट नंबर 1 के पिता के पक्ष में नहीं किया गया है इस संबन्ध में अपीलाण्ट सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर उसे निरस्त करवाने हेत स्वतंत्र है किन्तु हमारी राय में अपीलाधीन नामान्तकरण एक रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर तस्दीक किया गया है जिसमें किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नजर नहीं आती है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प जस्टाना में दिनांक 16/5/18 को सुनाया गया।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
बौंली जि0–स0माधोपुर

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर

Scanned by CamScanner